प्रेस नोट दिनांक 15.09.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा नाबालिग अपहृता को सकुशल बरामद करते हुए नामजद अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 137(2)/87 बीएनएस से संबंधित नाबालिग अपहृता को सकुशल बरामद करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 रोहित सिंह मय हमराह का0 प्रशांत कुमार यादव, का0 विकास एवं म0का0 रुचि देवी द्वारा क्षेत्र में पतारसी-सुरागरसी के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर संबंधित अपहृता एवं अभियुक्त बस अड्डा प्रतापगढ़ के पास से अभियुक्त रितेश तिवारी पुत्र स्व. विनोद कुमार तिवारी निवासी 329 बेगम वार्ड घोसियाना मोहल्ला थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया एवं अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।

बरामदगी—
अभियुक्त रितेश तिवारी के कब्जे से ₹31,400/- नगद, एक अदद मोबाइल फोन रेडमी नोट-8 प्रो, 02 अदद आधार कार्ड एवं 01 अदद पैन कार्ड बरामद किया गया।

पुलिस टीम—
उ0नि0 रोहित सिंह मय हमराह का0 प्रशांत कुमार यादव, का0 विकास, म0का0 रुचि देवी थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना संग्रामगढ़ के मुकदमें अन्तर्गत धारा

74/75/115(2)/352/351(2) बीएनएस व 9/10, 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(1)/3(1)ध/3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त मो0 इदरीश पुत्र मो0 सुबराती निवासी ग्राम अरों, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ को अरों नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- मो0 इदरीश पुत्र मो0 सुबराती, निवासी ग्राम अरों, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 विवेक कुमार मय हमराह का0 विजय चौहान, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा बलवा, सरकारी कार्य में बाधा एवं पुलिसकर्मियों पर हमला आदि के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना रानीगंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, शान्ति व्यवस्था ड्यूटी, चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति, तलाश वांछित अभियुक्त एवं पेण्डिंग विवेचना के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 178/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/132/121(2)/125/109(1)/352/351(3)/324(4) भा0न्या0सं0 से संबंधित वांछित अभियुक्त शिव कुमार बिन्द पुत्र राम निहोर बिन्द, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी ग्राम दमदम, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से समय करीब 11:30 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- शिव कुमार बिन्द पुत्र राम निहोर बिन्द, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी ग्राम दमदम, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह का0 दशरथ पटेल, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ पर दिनांक 04.07.2026 को मु0अ0सं0 0169/2026 धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत वादिनी श्रीमती सुशीला निवासी ग्राम बघुमार द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है। वादिनी के अनुसार मकान निर्माण के दौरान मजदूरी एवं पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में रामराज हरिजन, राजू मुसहर, मोनू जीतलाल एवं सूरज द्वारा उनके पति राममिलन गुप्ता के साथ क्रिकेट के बल्ले से मारपीट की गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अन्तू पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0169/2026 धारा 103(1) बीएनएस में आज दिनांक 15.09.2026 को उ0नि0 आदित्य कुमार मय हमराह का0 अंकित कुमार एवं का0 मृत्युंजय चौधरी द्वारा क्षेत्र में भ्रमण एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर वांछित अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू मुसहर पुत्र जमुना प्रसाद निवासी ग्राम जैतीपुर कठार थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष को ककरहा चौराहे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—
1-राजकुमार उर्फ राजू मुसहर पुत्र जमुना प्रसाद निवासी ग्राम जैतीपुर कठार, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

पुलिस टीम—
उ0नि0 आदित्य कुमार मय हमराह का0 अंकित कुमार,का0 मृत्युंजय चौधरी थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा बकरी चोरी की घटना का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त चन्दुल उर्फ राजेश गिरफ्तार, चोरी की 05 अदद बकरियां बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा बकरी चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर चोरी की 05 अदद बकरियां बरामद की गईं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ पर दिनांक 12.09.2026 को मु0अ0सं0 0175/2026 धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत वादिनी निवासी नरवल राहाटीकर द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है। वादिनी के अनुसार दिनांक 11.09.2026 को गांव के ही चन्दुल एवं उसके भाई द्वारा मोटरसाइकिल से उनके घर के सामने से दो काली व सफेद बकरियां एवं एक लाल-सफेद बकरा चोरी कर ले जाया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री दीप नारायण के नेतृत्व में थाना उदयपुर के उ0नि0 राजेश कुमार शुक्ला मय हमराह का0 अनिल यादव, का0 रवि कुमार एवं का0 श्रीकान्त द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0175/2026 धारा 303(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त चन्दुल उर्फ राजेश पुत्र सोमई उर्फ मंगरू, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम नरवल, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर ईंट भट्ठे के पास जंगल से चोरी की 05 अदद बकरियां बरामद की गई।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्त चन्दुल उर्फ राजेश द्वारा बताया गया कि उसने अपने भाई एवं साथी के साथ मिलकर दिनांक 11.09.2026 की रात्रि में मजहबीन बानो के यहां से 02 तथा भगत यादव के यहां से 03 बकरियां चोरी की थीं। चोरी की गई बकरियों को जंगल में छिपाकर रखा गया था, जिन्हें अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
चन्दुल उर्फ राजेश पुत्र सोमई उर्फ मंगरू, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम नरवल, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
चोरी की 05 अदद बकरियां।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राजेश कुमार शुक्ला मय हमराह का0 अनिल यादव, का0 रवि कुमार एवं का0 श्रीकान्त, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना हथिगवां पुलिस द्वारा “लूट” के अभियोग से संबंधित ₹25,000/- का इनामियां 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, लूट का VIVO Y-58 मोबाइल फोन बरामद-

थाना हथिगवां पुलिस की प्रभावी कार्रवाई में लूट के अभियोग में वांछित ₹25,000/- का इनामी अभियुक्त लाटू उर्फ अंशू गिरफ्तार।

₹25,000/- का इनामियां वांछित अभियुक्त लाटू उर्फ अंशू को थाना हथिगवां पुलिस द्वारा कैमा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से लूट का एक अदद मोबाइल फोन VIVO बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-161/2026 धारा 309(6) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त लाटू उर्फ अंशू पुत्र रज्जन सरोज निवासी ग्राम जमेठी, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष के विरुद्ध ₹25,000/- का पुरस्कार घोषित था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना हथिगवां पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं तलाश वांछित/इनामियां अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर कैमा मोड़ के पास से वांछित 01अभियुक्त लाटू उर्फ अंशू पुत्र रज्जन सरोज निवासी ग्राम जमेठी, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ 01 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. लाटू उर्फ अंशू पुत्र रज्जन सरोज, निवासी ग्राम जमेठी, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी-
01 अदद लूटा हुआ मोबाइल फोन VIVO Y-58, आसमानी रंग।

पुलिस टीम-
उ0नि0 प्रिन्स तिवारी मय हमराह उ0नि0 राधेश्याम सिंह, उ0नि0 राखी सिंह, का0 मनीष यादव, का0 अंकित कुमार एवं वाहन चालक का0 गांधी जी, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 15.09.2026 जनपद प्रतापगढ़ (वारण्टी अभियुक्त)

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में कुल 41 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 41 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना उदयपुर- 07: अरविन्द उर्फ भिन्दी पुत्र जगेश्वर, विनोद विश्वकर्मा पुत्र रामसुमेर विश्वकर्मा, ओमप्रकाश पुत्र शारदा प्रसाद, कर्मराज पुत्र भैरव, पिन्टू पुत्र भैरव, सुनउव्वर पुत्र कल्लू उर्फ मोहर्रम अली एवं नितिन पुत्र बजरंग बहादुर।
थाना रानीगंज- 02: जयशंकर पटेल पुत्र बेनीमाधव पटेल एवं अशोक सिंह।
थाना बाघराय- 01: मुन्ना सरोज पुत्र माता प्रसाद सरोज।
थाना आसपुर देवसरा- 01: शरद तिवारी पुत्र स्व0 ओमप्रकाश तिवारी।
थाना फतनपुर- 05: शिव कुमार सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह, वीरेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र सहवदीन, प्रेमचन्द पुत्र सीरजन, रामसिरोमणि पुत्र रामप्रसाद एवं रजित राम पुत्र रामनारायण।
थाना कंधई- 05: विक्रम सरोज पुत्र राम आसरे सरोज, लालचन्द्र पुत्र जेठू उर्फ रामनाथ वर्मा, मो0 सोएब पुत्र अब्दुल सत्तार, हिदायत पुत्र अब्दुल रहमान एवं जुबैद पुत्र अब्दुल सत्तार।
थाना लालगंज- 02: शिव शंकर पुत्र सुद्ध एवं राम किशुन पुत्र सुद्ध।
थाना सांगीपुर- 02: राम नरेश पुत्र छेदीलाल एवं आशुतोष पुत्र राम नरेश।
थाना मान्धाता- 03: रंजीत पटेल पुत्र शिवमूर्ति पटेल, शकील पुत्र मो0 फारूख एवं राधेश्याम पुत्र सियाराम।
थाना कोतवाली देहात- 03: रविशंकर उर्फ बबलू पुत्र स्व0 श्यामलाल, रमेश वर्मा पुत्र बाबूलाल वर्मा एवं सरवर हुसैन पुत्र बरकत उल्ला।
थाना देल्हूपुर- 03: मुस्तकीम पुत्र सगीर, लल्लू प्रसाद यादव पुत्र मुन्नालाल यादव एवं मुन्नालाल यादव पुत्र रामगनेश।
थाना कुण्डा- 01: जुबैर अहमद पुत्र मो0 शरीफ।
थाना संग्रामगढ़- 05: गिरीशचन्द्र तिवारी पुत्र द्वारिका प्रसाद तिवारी, कमलेश कुमार तिवारी पुत्र द्वारिका प्रसाद तिवारी, दूधनाथ पुत्र स्व0 लालता प्रसाद पटेल, नन्हेलाल पुत्र दूर्गा प्रसाद एवं भाईलाल पुत्र दूर्गा प्रसाद।
महिला थाना- 01:शिव कुमार सरोज पुत्र स्व0मिठ्ठूलाल

कुल गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त- 40

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित न्यायालयों द्वारा जारी वारण्ट के अनुपालन में नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।